न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगमाल राम बनाम मोती (मिश्री)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा स्थगन 38/2021	
22-8-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-9-22 को पेश हो।	
14-9-22	वकील वादीगण उप0। प्रतिवादी सं. 3 के पुनः तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 20-10-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	1456/रीडर 20-10-22
20.10.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 को जारी नोटिस की असालतन तामील होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.11.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत —लगातार—	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

.......गणपतराम....... बनाम ....मोतीराम आदि.......

किस्म मुकदमा ....धारा....... नं. ....38....... सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	इस्तकरार हक स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 13/11/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.12.01 17:33:52 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2021	2021 / 083	16.03.2021	17.11.2022

उनवान प्रकरण

1. गणपतराम उम्र 58 साल
2. राजू उम्र 52 साल
3. गोकुल उम्र 48 साल

   पुत्रगण स्व. जवारा पुत्र बोदू
4. पारली देवी उम्र 67 साल
5. चन्दा देवी उम्र 65 साल
6. बनारसी देवी उम्र 62 साल
7. दड़कली देवी उम्र 85 साल

   पुत्रीयां स्व. जवारा पुत्र बोदू

   जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—वादीगण

बनाम्

1. मोतीराम पुत्र रतराम उम्र 85 साल जाति जाट निवासी जसवंतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

श्री भंवर सिंह बिजारणिया, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री अनिल यादव,एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

17/11/22

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा बाबत ईस्तकरार हक अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 14 बिघा 6 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 380 रकबा 0.01 हैक्टर, 381 रकबा 3.56 हैक्टर तन् ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम दर्ज हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 14 बिघा 6 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.06.1984 को वादीगण के पिता–पति स्व. जवारा पुत्र बोदूराम ने प्रतिवादी संख्या– 1 के पति रता पुत्र दुल्हा जाति जाट से खरीद कर मौके पर काबिज काश्त पूर्व में वादीगण का पिता–पति जवारा पुत्र बोदू का बिज काश्त चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण कृषि भूमि खसरा नम्बर 381 रकबा 3.5600 हैक्टर के 1/4 हिस्स की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज नही होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब ईन्कार हो गये। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। ईस्तकरार हक इस अमर का [illegible] कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 381 रकबा 3.56 हैक्टर [illegible] हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 1/4 [illegible] की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा की खातेदारी से [illegible]वादी संख्या–1 का नाम हजफ किया जाकर शेष हिस्सा की खातेदारी बदस्तूर रखी जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

12/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादपत्र में किया है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी संख्या 2 की सम्मन तामील साधारण तरीके से असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 को न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 381 रकबा 3.56 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जसंवतपुरा को बैंक के रहन दर्ज होने से अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत जरिये पत्रांक 1456/रीडर/22 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा लिखा जाकर तामील करवाई गई। जिसकी असालतन तामील होने के बावजूद बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधि के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान करते हुए राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियां का [illegible] प्रतिवादी मोतीराम पुत्र रताराम [illegible] प्रकट होता है तथा उक्त हिस्सा पूर्ण जाति सा. देह खातेदार [illegible] बिस्वा में से हिस्स 1/4 की कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 202 रकबा 14 [illegible] को वादीगण के पिता/पति स्व0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.06.1984

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

जवारा पुत्र बोदूराम ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रता पुत्र दुल्हा जाति जाट से क्रय किया जाकर मौके पर कब्जे काश्त होना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमियाँ पक्षकारान् के पिता द्वारा प्रतिवादी के पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रय किया जाना रिकार्ड से सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादी पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों एंव रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 04.06.1984 के आधार पर वादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 381 रकबा 3.56 हैक्टर तन ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 1/4 हिस्सा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/4 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या– 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा शेष हिस्सा की खातेदारी बदस्तूर रखी [illegible] आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसा[illegible] राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जावें। यदि उक्त कृषि भूमि पर किसी बैंक का रहन इत्यादि दर्ज हो तो उक्त रहन को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम शेष रही भूमियों पर रहन दर्ज किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:52 IST
Reason: SelfAttested